कार्यवाही विवरण

दिनांक 11–12नवम्बर 2014 को प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में समिति कक्ष द्वितीय, शासन सचिवालय जयपुर में सामान्य प्रशासन विभाग की आडिट समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री आर.के.मीणा,संयुक्त शासन सचिव, वित्त(अंकेक्षण) विभाग
2. श्री महेन्द्र कुमार खींची, उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
3. डॉ. मनीष शुक्ला, मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
4. श्री मुकेश जैन, वरिष्ठ लेखाधिकारी, महालेखाकार राज0
5. श्री अरूण कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी, महालेखाकार राज0
6. निदेशक निरीक्षण विभाग के प्रतिनिधि
7. प्रबन्धक विश्राम भवन/या उनके प्रतिनिधि सलंग्न सूची अनुसार

ऑडिट कमेटी की गत बैठक में यह महसूस किया गया था कि जिन कार्यालयों के ऑडिट आक्षेपों पर विचार किया जाना है यदि उन्हें पालना रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड के साथ बुलाया जावे तो आक्षेपों के निस्तारण पर त्वरित कार्यवाही करवाई जा सकती है। अतः समस्त विश्राम भवनों के प्रबन्धको को इस बैठक में आमन्त्रित किया गया।

बैठक के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर हुई चर्चा के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिए गए–

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विश्राम भवनों में जिन कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है तथा उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति नहीं होने के कारण महालेखाकार द्वारा विभिन्न विश्राम भवनों में आक्षेप लिए गए हैं उनकी सूची मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित करने हेतु लिखा जावे।

2. विश्राम भवनों में निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल द्वारा दिए गए मीमो का जवाब निरीक्षण दल को तत्काल दिया जावे। इस हेतु उपस्थित प्रबन्धकों को निर्देशित कर दिया गया।

3. जिन विश्राम भवनों में ठहरे अतिथियों(अधिकारी/कर्मचारियों) के विरूद्ध बकाया राशि की वसूली से संबंधित आक्षेप लम्बित हैं, उन प्रकरणों में संबंधित से बकाया राशि शीघ्र वसूल कर आक्षेप निरस्त करवाने की कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गए।

4. सभी विश्राम भवनों में रखे अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के निस्तारण की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 31.12.14 तक आवश्यक रूप से की जावे ताकि इससे संबंधित सभी आक्षेपों का निस्तारण कराया जा सके।

5. अनियमित क्रय से संबंधित आक्षेपों को चर्चा के दौरान अत्यधिक गम्भीरता से लिया गया। ऐसे कार्यालयों जहाँ इस प्रकार के आक्षेप हैं, के कार्यालयाध्यक्षों को आक्षेपों के संबन्ध में स्थिति स्पष्ट करने एवं भविष्य में क्रय में नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

6. विश्राम भवनों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गए कम/ज्यादा सामान की वसूली/रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही भी 31.12.14 से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए।

7. महालेखाकार के प्रतिनिधियों ने अवगत करवाया कि विश्राम भवन डूंगरपुर एवं बारां की अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 की प्रथम अनुपालना अप्राप्त है, इनकी प्रथम अनुपालना शीघ्र भिजवाई जावे।

8. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्राणाधीन शेष विभागों यथा सम्पदा, स्टेट मोटर गैराज, सिविल एवीएशन आदि की ऑडिट कमेटी की बैठक भी पृथक से आयोजित की जावे।

9. विश्राम भवनों के अधिकारियों/कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान या भण्डार में कम पाए गए सामान की अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली के जितने भी आक्षेप है उनके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि विश्राम भवन में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली तुरन्त की जावे यदि कोई अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया है तो उसकी वसूली हेतु सम्बन्धित विश्राम भवन को लिखा जावे। प्रबन्धक विश्राम भवन का यह दायित्व होगा कि वसूली योग्य राशि की सूचना प्राप्त होते ही अगले माह के वेतन बिल से वसूली किया जाना सुनिश्चित करावें।

10. बीकानेर हाउस नई दिल्ली के पानी के बिलो की बकाया राशि रू. 75;64,760/– एवं इसका समय पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण भुगतान की गई अधिभार की राशि रू. 22,788/– के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कराये जाने हेतु प्रमुख आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा बनाई गई कमेटी की तत्काल बैठक कर उत्तरदायित्व निर्धारण कराये जाने हेतु प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के प्रतिनिधि को निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक के अंत में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा सभी आंगतुक अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

Sd/–
(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: प 16(13)सा.प्र/5/13 जयपुर दि. 20.11.14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, राज0 जयपुर।
2. निदेशक, निरीक्षण विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(अंकेक्षण) विभाग ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. उप शासन सचिव(क), सामान्य प्रशासन विभाग ।
6. निदेशक,नागरिक उड्डयन विभाग को बिन्दु संख्या 8 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के लिए।
7. निदेशक,सम्पदा विभाग को बिन्दु संख्या 8 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के लिए।
8. नियंत्रक,स्टेट मोटर गैराज विभाग को बिन्दु संख्या 8 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के लिए।
9. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली।
10. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राज0 जयपुर।

महेन्द्र
(महेन्द्र कुमार खींची)
उप शासन सचिव (क)